

निर्णय बईजलास भवानी सिंह पालावत, आर0ए0एस0, अति0जिला कलक्टर एवं  
अति0 जिला मजिस्ट्रेट झालावाड

प्रकरण संख्या 18/18

दायरा- 08.01.18

राजस्थान सरकार जयें पुलिस अधीक्षक झालावाड

सायल

बनाम

सलमान आ0 उस्मान निवासी नई आबादी असनावर थाना असनावर

गैर सायल

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :- श्री दिलराज मीना वकील गैर सायल

:- आदेश :-

दिनांक :- 08.05.2018

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक झालावाड की ओर से सलमान आ0 उस्मान निवासी नई आबादी असनावर के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन हेतु उनके पत्र संख्या 95745 दिनांक 15.12.17 द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि गैर सायल के विरुद्ध थाना असनावर जिला झालावाड में निम्न मुकदमें दर्ज है :-

क0स0	इस्तगासा पेश करने की दिनांक	धारा	प्रकरणों की स्थिति
1	42/16	13 आरपीजीओ	50 जुर्माना
2	143/16	13 आरपीजीओ	100 जुर्माना



जिनमें न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है। इसके बावजूद भी वह अन्य अवैध कार्य एवं लडाई झगडा, मारपीट आदि आपराधिक गतिविधियो मे लिप्त रहता है। गैर सायल की आम शोहरत यह है कि यह इतना कुख्यात एवं दुःसाहस, है कि आमजन इसकी अपराधो की रिपोर्ट करने या इसके विरुद्ध गवाही देने से डरते है इस कारण इसके द्वारा किये जा रहे अपराध रिकार्ड पर दर्ज नहीं हो रहे है। इसका स्वच्छन्द रहना समाज के लिए परिसंकटमय है। अतः गैर सायल के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

प्रकरण दर्ज कर गैर सायल को जयें नोटिस तलब किया गया। गैर सायल उपस्थित हुआ गैर सायल की ओर से वकील श्री दिलराज मीणा द्वारा वकालतनाम प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि गैर सायल अब शांति पूर्वक जीवन यापन कर रहा है। इसलिये इस्तगासा खारिज फरमाकर बरी किया जावे।

मैने वकील गैर सायल की मौखिक बहस का मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। इस्तगासे में प्रस्तुत दस्तावेजात व साक्ष्यों के आधार पर राज0गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत सन्तुष्ट होकर मै गैर सायल को गुण्डा घोषित करता हूँ और निम्न आदेश पारित करता हूँ।

अति० कलक्टर एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट  
झालावाड (राज०)

—: आदेश :-

सलमान आ० उस्मान निवासी नई आबादी असनावर थाना असनावर को दिनांक 09.05.2018 से 7 दिन (सात दिवस) के लिए थाना असनावर व जिला झालावाड की सीमाओं से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस अवधि में वह पुलिस थाना सुकेत जिला कोटा के थानाधिकारी को प्रति दिन थानाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय पर उपस्थित होकर अपनी गतिविधियों की सूचना देता रहेगा। गैर सायल न तो कोई घातक हथियार अपने पास रखेगा और ना ही काम में लेगा, ना किसी प्रकार के मादक द्रव्य मदिरा, अफीम, गोंजा, चरस, भांग आदि का या विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तु का कब्जा अपने पास रखेगा। किसी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था, मेला हाट आदि के समीपस्थ दूरी के भीतर उपस्थित नहीं होगा। शान्ति बनाये रखने व सदाचारी बने रहने हेतु 10,000/-रु० अक्षर (दसहजार रुपये) के स्वयं का मुचलका प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 08.05.2018 को खुले न्यायालय में टंकित कराया जाकर, मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।



(भवानी सिंह पालावत)  
अति० जिला कलेक्टर एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट  
झालावाड़  
(राब०)